

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग
आई.टी. भवन, योजना भवन परिसर, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(7475)/डी.ओ.आई.टी./संस्था/18/02086/2018 जयपुर, दिनांक 19/07/2018

अनापत्ति प्रमाण पत्र

राजस्थान कम्प्युटर अधिनस्थ सेवा के विभिन्न विभागों में कार्यरत/पदस्थापित कर्मचारियों को निम्नलिखित प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है:-

क्र.स.	नाम एवं पद	पदस्थापित विभाग	परीक्षा का नाम
1.	श्री दीपक शर्मा, सहायक प्रोग्रामर	संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय	1. RPSC - राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2018
2.	श्री उमेश चन्द दैया, सहायक प्रोग्रामर	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-नोखा, बीकानेर	1. RPSC - Vice Principal/Superintendent ITI- 2018
3.	श्रीमती हर्षिता मेलवानी, सहायक प्रोग्रामर	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर	1. RPSC - RAS 2018
4.	श्री विनय कुमार, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-पहाड़ी, भरतपुर	1. RPSC - Vice Principal/Superintendent
5.	श्री वैभव दीक्षित, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-केशोरायपाटन, बूंदी	1. RPSC - RAS-RTS 2018 Exam 2. RSMSSB - Computer Operator and Programming Assistant 3. RPSC - Vice Principal/Superintendent ITI- 2018
6.	श्री विशाल शर्मा, सूचना सहायक	सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, मुख्यालय जयपुर	1. RPSC - RAS Combined Comp. Exam 2018 2. INDIAN RAILWAYS - Assistant Loco Pilot and Technicians
7.	श्री विकास कुमावत, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-गोविन्दगढ़, जयपुर	1. RPSC - Vice Principal/Superintendent ITI 2. RPSC - Sub Inspector 3. RPSC - ACF and Forest Range Officer
8.	श्री विष्णु मरेठा, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, टोंक	1. RSMSSB - Industries Extension Officer 2. RSMSSB - Computer Operator and Programming Assistant
9.	सुश्री विनीता खोजा, सूचना सहायक	कार्यालय प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, डॉ सम्पूर्णानन्द आयुर्विज्ञान, महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	1. RPSC - RAS 2018 2. RPSC - महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2018 3. RPSC - 2nd Grade Teacher 4. RPSC - 2nd Grade Teacher 2018 (Geography)
10.	श्री योगेन्द्र वाल्मीकि, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-समदडी, बाड़मेर	1. RSMSSB - Supervisor (Women Empowerment) 2. RPSC - Sub Inspector Police Comp. Exam 2016 3. RPSC - RAS Combined Comp. Exam 2018 4. RPSC - ACF and Forest Range Officer Gr-I
11.	श्री विरेन्द्र पाल धाखड, सूचना सहायक	कार्यालय एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, पंचायत समिति-बयाना, भरतपुर	1. RSMSSB - Junior Instructor (COPA)

12.	श्री तारा चन्द सैनी, सूचना सहायक	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बस्सी, जयपुर द्वितीय, जयपुर	1. RSMSSB – कनिष्ठ अनुदेशक (COPA) 2018
13.	श्री विनीत गुप्ता, सूचना सहायक	रोजगार सेवा निदेशालय, जयपुर	1. RPSC – RAS 2018 2. RSMSSB – Clerk Grade-II/Junior Assistant Exam – 2018 3. SSC CGL – 2018
14.	श्री विजय चौहान, सूचना सहायक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर	1. Program Assistant - Computer, Agriculture University, Jodhpur
15.	श्री विजेन्द्र सिंह निर्वाण, सूचना सहायक	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड, मुख्यालय जयपुर	1. National Eligibility Test (NET) July, 2018

उक्त प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जाएगी।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगी।
4. विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बगैर अध्ययन चालू रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जायेगी उन्हें परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी/कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकारी नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा, अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जाएगी।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
10. प्रशासनिक कारणोंवश अध्ययन स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
11. उक्त शर्तों की अवहेलना करने या पाई जाने पर कार्मिक/कार्मिका के विरुद्ध कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.9(5)(9)/कार्मिक/क-3/2001 दिनांक 16 मई 2002 के अनुसार वृहत शास्ति हेतु अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

— 50 —

(आशुतोष.एम.देशपाण्डे)

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. संबंधित विभागाध्यक्ष.....।
2. संबंधित कर्मचारी.....।
3. प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
4. निजी/रक्षित पत्रावली।

तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव